न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
20/2018

दायर दिनांक
16.05.2018

उनवान

1. नारायण पिता श्रीकिशन जी जाट उम्र 70 सत्तर वर्ष निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला–भीलवाड़ा

–वादी

बनाम

1. रतनसिंह पिता नंदसिंह जी राजपूत उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेड़ा तहसील व जिला–भीलवाड़ा
2. सुल्तानसिंह पिता नंदसिंह जी राजपूत उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेड़ा तहसील व जिला–भीलवाड़ा
3. नारायणसिंह पिता नंदसिंह जी राजपूत उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेड़ा तहसील व जिला–भीलवाड़ा
4. भैरूसिंह पिता नंदसिंह जी राजपूत उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेड़ा तहसील व जिला–भीलवाड़ा
5. रामसिंह पिता शंभुसिंह जी राजपूत उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेड़ा तहसील व जिला–भीलवाडा
6. शिवसिंह पिता माधुसिंह जी राजपूत उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेड़ा तहसील व जिला–भीलवाडा
7. रूघनाथसिंह पिता माधुसिंह जी राजपूत उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेड़ा तहसील व जिला–भीलवाड़ा
8. सम्पतसिंह पिता देवीसिंह जी राजपूत उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेड़ा तहसील व जिला–भीलवाड़ा
9. जगदीशसिंह पिता भंवरसिंह जी राजपूत उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेडा तहसील व जिला–भीलवाड़ा
10. बालू पिता लादू जी जाट उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेड़ा तहसील व जिला–भीलवाड़ा
11. रामलाल पिता मांगू जी जाट उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेड़ा तहसील व जिला–भीलवाड़ा
12. हजारी पिता मांगू जी जाट उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेड़ा तहसील व जिला–भीलवाड़ा

– प्रतिवादीगण

Ahad

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

13/11
27/...
...

...अन्तर्गत धारा 188—92 (क) एक सौ अव्यासी—बरानवे (क) रा.टि.ए. स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 24.05.2024

संक्षिप्त में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भोपालगढ़ तहसील व ...भीलवाड़ा में मुझ वादी के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की आराजी नं. 2246 रकबा 1 ...7 बिस्वा, 2226 रकबा 16 बिस्वा एवं 2225 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 2 बीघा ...बिस्वा भूमि स्थित है जिस पर मुझ वादी का सदैव से अधिकार आधिपत्य चला आ रहा है। ...भूमि पर सालभर में मेरी दोनों फसलें पैदा होती है। इस भूमि के चारों ओर मैंने थोहरों ...बाड़ कर रखी है।

प्रतिवादीगण ग्राम ढोलिया खेड़ा के निवासी हैं जिन्होंने वहां की आबादी भूमि पर ...क्रमण कर छोट—छोटे बाड़े बना रखे हैं। इन प्रतिवादीगण ने नाजायज संगठन बना रखा ...की ताकत के बल पर मुझ वादी की खातेदारी की उक्त वर्णित आराजियात के चारों ओर ...हुई थोहरों की बाड़ को काट कर मेरी खातेदारी की भूमि से मुझे बेदखल कर उस पर ...जायज कब्जा करने पर उतारू हो रहे हैं जिसके लिये उन्होंने जसेबी मशीन मौके पर मंगा ...है और वे कभी भी मौका देखकर मेरी उक्त भूमि के लगी हुई थोहरों की बाड़ को ...कर मेरी खातेदारी की भूमि पर नाजायज कब्जा कर लेंगे और अपने बाड़ों को मेरी ...तेदारी की भूमि में बढ़ाकर बड़ा कर लेंगे जिससे मैं वादी मेरी खातेदारी की उक्त भूमि से ...के लिये वंचित होजाऊंगा ।

प्रतिवादीगण का मेरी उक्त भूमि से कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्होंने पहले से ही ...की आबादी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है जिसके बारे में कई बार शिकायतें करने पर ...उन्होंने अपने बाड़ों को नहीं हटाया है और अब मेरी खातेदारी की भूमि पर भी अतिक्रमण ...के उस पर अपने बाड़ों को फैलाकर बड़ा करना चाहते हैं । प्रतिवादीगण ने ऐलान कर ...खा है कि हम कभी भी मौका देखकर वादी की भूमि के लगी हुई थोहरों की बाड़ को काट ...र उसमें काफी बड़ी भूमि पर अतिक्रमण कर बाड़े बना लेंगे व उसे उनके बाड़ों में मिलाकर ...नके बाड़ों को बड़ा कर लेंगे। प्रतिवादीगण की इस धमकी से मेरे खातेदारी अधिकारों पर ...भीर आघात हो रहा है और मुझे अपरिमित क्षति होने की प्रबल आशंका है जिससे ...तिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद कराया जावे कि वे मुझ वादी की ...खातेदारी की भूमि के चारों ओर लगी हुई थोहरों की बाड़ को व मेरी उक्त खातेदारी की भूमि ...जेसीब मशीन या अन्य किसी तरह से क्षति नहीं पहुंचावे व मेरी उक्त खातेदारी की भूमि पर ...ई अतिक्रमण नहीं करे न करावे न ही मेरी उक्त भूमि को अपने बाड़ों में मिलाकर उनको ...ड़ा करे और मेरे कब्जेकाश्त में कोई दखल नहीं करे और मेरी खातेदारी की भूमि से मुझे ...जबरन बेदखल नहीं करे ।

अन्त में वादी ने निवेदन किया है कि वाद अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक ...वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमाई जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद ...कराया जावे कि वे वादपत्र की धारा सं. 1 में वर्णित वादी की खातेदारी अधिकार आधिपत्य की ...आराजियात किता 3 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि के चारों ओर लगी हुई थोहरों की बाड़ को ...व मेरी उक्त खातेदारी की भूमि को जसेबी मशीन या अन्य किसी तरह से क्षति नहीं पहुंचावे व ...मेरी उक्त खातेदारी की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं करे न करावे न ही मेरी उक्त भूमि को ...अपने बाड़ों में मिलाकर उनको बड़ा करे और मेरे कब्जेकाश्त में कोई दखल नहीं करे और ...मेरी खातेदारी की भूमि से मुझे जबरन बेदखल नहीं करे ।

(signature)

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

...पर अतिक्रमण कर रखा है जिसके ...

वादी का वादपत्र पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण के सम्मन जारी किए गए।
वादी संख्या 01 से 12 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 01 से 12 की
र से जवाब प्रस्तुत नहीं करने से दिनांक 12.02.2021 को प्रतिवादीगण का जवाब बंद
या गया। प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 जा0 दी0 का दिनांक 24.03.
21 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रकरण में 12.02.2021 को प्रतिवादी के जवाब को
कर दिया गया जिससे प्रतिवादीगण पुनः जवाब दिए जाने की अनुमति की प्रार्थना की है
स पर प्रतिवादीगण को दिनांक 24.03.2021 को अनुमति प्रदान की गई। प्रतिवादीगण के
नांक 15.03.2024 को उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई।
करण साक्ष्यवादी में नियत किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य में शपथ पत्र नारायण लाल
ट का पेश हुआ।

प्रकरण में वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में
ाया कि वादपत्र में अंकित बिन्दुओं अनुसार वादी ग्राम भोपालगढ़ तह0 भीलवाड़ा के आराजी
0 2246, 2226, 2225 कुल किता 03 कुल रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि का खातेदार दर्ज
काई है। उक्त भूमि में प्रतिवादीगण जबरन जेसीबी मशीन से कब्जा करने एवं वादी को
खल करने पर आमादा है। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी
राई जाए।

वादी के वादपत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। वादी
धिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त ग्राम भोपालगढ तह0 भीलवाड़ा के
राजी नम्बर 2246, 2226, 2225 कुल किता 03 कुल रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि जमाबन्दी
म्वत 2071–2074 के खाता संख्या 381 में नारायण पिता श्रीकिशन जाट सा0 देह खातेदार
र्ज रेकार्ड है। इस प्रकार वादी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार होने से प्रतिवादीगण के
रूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा
88, 92ए आरटीए का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएवं

—:आदेशः—

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188, 92 क आरटीए का स्वीकार किया जाकर ग्राम
ोपालगढ तह0 भीलवाड़ा के आराजी नम्बर 2246, 2226, 2225 कुल किता 03 कुल रकबा 2
ीघा 6 बिस्वा भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण
ख्या 01 से 12 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि वादी की खातेदारी भूमि पर
अतिक्रमण नहीं करे एवं कब्जे काश्त में दखल नहीं करे। जबरन बेदखल नहीं करे। खर्चा
फरिकेन अपना–अपना वहन करे। तदानुसार डिक्री जारी करे।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले
न्यायालय में सुनाया गया।

(अ[illegible] सोमनाथ)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा०दी०)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

1. नारायण पिता श्रीकिशन जी जाट उम्र 70 सत्तर वर्ष निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला–भीलवाड़ा —वादी

बनाम

1. रतनसिंह पिता नंदसिंह जी राजपूत उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेड़ा तहसील व जिला–भीलवाड़ा
2. सुल्तानसिंह पिता नंदसिंह जी राजपूत उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेड़ा तहसील व जिला–भीलवाड़ा
3. नारायणसिंह पिता नंदसिंह जी राजपूत उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेड़ा तहसील व जिला–भीलवाड़ा
4. भैरूसिंह पिता नंदसिंह जी राजपूत उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेड़ा तहसील व जिला–भीलवाड़ा
5. रामसिंह पिता शंभुसिंह जी राजपूत उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेड़ा तहसील व जिला–भीलवाडा
6. शिवसिंह पिता माधुसिंह जी राजपूत उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेड़ा तहसील व जिला–भीलवाडा
7. रूघनाथसिंह पिता माधुसिंह जी राजपूत उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेड़ा तहसील व जिला–भीलवाड़ा
8. सम्पतसिंह पिता देवीसिंह जी राजपूत उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेड़ा तहसील व जिला–भीलवाड़ा
9. जगदीशसिंह पिता भंवरसिंह जी राजपूत उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेडा तहसील व जिला–भीलवाड़ा
10. बालू पिता लादू जी जाट उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेड़ा तहसील व जिला–भीलवाड़ा
11. रामलाल पिता मांगू जी जाट उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेड़ा तहसील व जिला–भीलवाड़ा
12. हजारी पिता मांगू जी जाट उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेड़ा तहसील व जिला–भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188–92 (क) एक सौ अठ्यासी–बरानवे (क) रा.टि.ए. स्थायी निषेधाज्ञा बाबत्।

प्रकरण संख्या 20/2018 राजस्व वाद

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूलाल जी बापना एवं विपुल जी बापना एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 12 की और से श्री राधेश्याम शर्मा उपस्थित में– इस वाद में आज तारीख 24.05.2024 को पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है।

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188, 92 क आरटीए का स्वीकार किया जाकर ग्राम भोपालगढ तह० भीलवाड़ा के आराजी नम्बर 2246, 2226, 2225 कुल किता 03 कुल रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 से 12 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि वादी की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करे एवं कब्जे काश्त में दखल नहीं करे। जबरन बेदखल नहीं करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे। तदानुसार डिक्री जारी करे।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया।

Ahad

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा